



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-807

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री बालेश्वर पासवान,
पिता-श्री सुनदन पासवान,
ग्राम+पोस्ट-दहरिया,
थाना-छातापुर, पिन-852137

पटना 14, दिनांक- 03/09/2021

विषय- श्री बालेश्वर पासवान द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत डोड़रा मौजा के खाता संख्या-18, खेसरा संख्या-1009, थाना संख्या-100, अंचल-छातापुर, एन.एच.-57 पथ के किनारे IOCLका रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0285 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44894/2020/4257, दिनांक 30.09.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 962, दिनांक 22.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/44894/2020/4257, दिनांक 30.09.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदालोक में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद की राशि e-challan के माध्यम से जमा करने तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है।

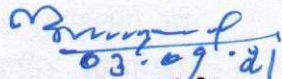
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-2 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 304/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 7,52,635/- (सात लाख बावन हजार छः सौ पैतीस रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 304 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल— 0.0285 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 17,841/- (सतरह हजार आठ सौ एकतालीस रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेंसी विभाग को उपलब्ध कराएगी।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 7,52,635.00 (+) रु. 17,841.00 अर्थात् कुल रु. 7,70,476.00 (सात लाख सत्तर हजार चार सौ छिहत्तर रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाइट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।
5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 13 तक अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

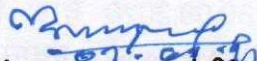

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 807

दिनांक - 03/09/2021

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 304/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

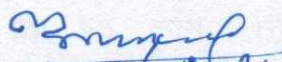

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC- 807

दिनांक 03/09/2021

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।